MR. CHAIRMAN : Let the hon. Minister conclude.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : It is intended to use the private goods for the public good. जो संसाधन, जो कोई रिसोर्सेज निजी क्षेत्र में हमें उपलब्ध हैं या उपयोग में लाए जा सकते हैं, उनका इस्तेमाल सार्वजनिक फायदे के लिए करने का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है और इसमें नीति का एक अंग पहले भी था, 2002 की मीटिंग में था और इसको आगे भी हम रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। The one which the hon. Member has in mind is there are good many projects where the public private partnership model has been found attractive enough by different cities in the country to adopt that. I would only just mention Tirpur, Salt Lake Kolkata, Chennai, Nagpur, Hyderabad, Hubli, Dharwar, Belgaum, Gulbarga, Lattur, Mysore, Haldia, Dewas, Khandwa, Shivpuri, Raipur, Kolhapur, etc. Sir, in many places for one purpose or the other, public private partnership model has been utilised, and it would be the policy of the Government to encourage that and, at the same time, I hasten to make the earlier point clear so that you don't have any doubt in your mind.

*423. The Questioner (Shri Jesudasu Seelam) was absent.

Promotion of entrepreneurship and self-employment among minorities

*423. SHRI JESUDASU SEELAM : Will the Minister of MINORITY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the details of steps taken to promote entrepreneurship and self-employment among minorities during the last five years;

(b) the steps taken by Government to enable minority entrepreneurs to receive hassle-free loans; and

(c) the future strategy chalked out by Government for the development of minority communities in the country?

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In order to promote entrepreneurship and self-employment among minorities, the Ministry of Minority Affairs has taken the following steps :

(I) The National Minorities Development & Finance Corportion (NMDFC), a Central Public Sector Enterprise functioning under the Ministry, extends loans at concessional rate of interest to persons belonging to minority communities living below double the poverty line. This also includes educational loans provided to the students for pursuing technical and professional courses apart from loans to NGOs, Self Help Groups (SHGs) and micro credit to small entrepreneurs. During the period 2007-08 to

2011-12, Rs. 977.21 Crore were disbursed by NMDFC for 467909 minority beneficiaries. In addition, the NMDFC also implements promotional scheme of vocational training for skill development to improve employability of minorities. During the period 2007-08 to 2011-12, Rs. 2.58 Crore have been spent for vocational training of 6282 minority beneficiaries.

(II) In order to develop infrastructure for skill up-gradation of the minorities, 71 ITIs and 31 Polytechnics have been sanctioned for construction/up-gradation in Minority Concentration Districts (MCDs) under the Multi-sectoral Development Programme (MsDP) during the last five years.

(III) Further, under the Prime Minister's New 15 Point Programme for welfare of Minorities, following steps have been taken :

(i) 992434 Swarozgaries have been assisted during the period from 2007-08 up to February, 2012, under Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana (now renamed as Aajeevika Scheme) implemented by the Ministry of Rural Development.

(ii) Under the Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY), from 2007-08 up to December, 2011, the Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation has assisted 74520 urban poor persons to set up Individual Micro Enterprises under the component of Urban Self Employment Programme and Skill training was imparted to 143523 urban poor under the component of Skill Training for Employment Programme. Funds totalling Rs. 100.53 Crore were utilized for the purpose.

(iii) Under Priority Sector Lending (PSL), the Table below shows the amounts disbursed under various types of financing including micro & small enterprises to minorities :-

Year	Amount disbursed (Rs. in Crores)	Percentage of the total PSL
2007-08	58662.67	10.60
2008-09	82864.65	12.41
2009-10	112038.82	13.01
2010-11	143396.70	14.16
2011-12 (up to December, 2011)	154789.90	14.83

(iv) During the 11th Five Year Plan up to 31st December, 2011, the Department of Higher Education sanctioned 46 new Polytechnics and Rs. 232.67 Crore were released in order to develop infrastructure for skill up-gradation of the minority communities.

(v) The Ministry of Labour and Employment released Rs. 114.59 Crore from 2007-08 up to December, 2011 for up-gradation of 60 identified ITIs to Centres of Excellence in districts having substantial minority population.

(b) To enable minority entrepreneurs to receive hassle-free loans and also as a follow up of the recommendation of Sachar Committee, the Government has taken the following steps :

(i) It was decided by the Government that Public Sector Banks would regularly monitor disposal of loan applications for minorities and maintain reasons for rejection of applications so that the applicants can exercise their rights to information about the status of their applications. District-wise and bank-wise data are required to be made available on the web-site of Reserve Bank of India (RBI). Accordingly, the proforma for reporting and monitoring of loans to minorities have been devised.

(ii) RBI has issued necessary instructions to all Scheduled Commercial Banks to specifically direct credit to Muslims, create awareness of various credit schemes through publicity and organize entrepreneurial development programmes.

(iii) Micro-finance among women is promoted, especially in clusters, by the Ministries/Departments/PSU banks/financial institutions.

(iv) 3216 new bank branches have been opened in the minority concentration districts since 2007-08 up to December, 2011.

(v) Concessional loans from NMDFC are made available to entrepreneurs belonging to minority communities, subject to fulfillment of eligibility criteria, through the network of 37 State Channelising Agencies in various States and Union Territories and through the network of NGOs and Self Help Groups for micro-credit.

(c) For accelerated development of minorities, the Working Group on the Empowerment of Minorities for formulation of the 12th Five Year Plan has outlines some modification in implementation of PM's New 15 Point Programme. This also included restructuring of MsDP to sharpen the focus on minority concentration areas and inclusion of more flagship schemes under the PM's 15 Point Programme. Ministry of Minority Affairs has, in principle, agreed to make these suggestions as part of future strategy.

MR. CHAIRMAN : Mr. Satyavrat Chaturvedi wants to put a supplementary.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, यह जो सवाल है, इसका सीधा संबंध अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान से सम्बन्धित है, उद्यमिता का विकास करने से सम्बन्धित है। उद्यमिता का

विकास कब होगा, जब पहले उनमें क्षमता का विकास किया जाए और क्षमता का विकास कब होगा, जब आधारभूत संरचना पहले तैयार कर दी जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के आर्थिक विकास के लिए केवल एक मंत्रालय नहीं, बल्कि अनेक मंत्रालयों में काम करने की आवश्यकता है, आधारभूत संरचना, अवसर और क्षमता विकास करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से कोआर्डिनेट करने की जरूरत है और इसीलिए शायद प्रधान मंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में आपने यह निश्चित किया था कि विभिन्न मंत्रालय, जो विकास से संबंधित हैं, उनके बजट में 15 प्रतिशत का एलोकेशन, आवंटन इन वर्गों के विकास के लिए आरक्षित किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कृपया आप यह बताने का कष्ट करें, चूंकि आप नोडल विभाग हैं, आपके पास जानकारी होनी चाहिए, कि पिछले वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों में 15 प्रतिशत की यह राशि अलग से आरक्षित की गई है या नहीं? यदि की गई है, तो समय पर क्या उसका पूरा उपयोग किया गया है? और, यदि हां, तो आपने कितने उद्यमिता विकास के नए मामले सफलता पूर्वक स्थापित किए हैं, कितने लोगों को उद्यमिता विकास कराई है? इसके बारे में जानकारी देने का कष्ट करें।

श्री सलमान खुर्शीद : मान्यवर।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, मेरा प्रश्न बहुत साफ है।

श्री सलमान खुर्शीद : मान्यवर, माननीय सदस्य महोदय का प्रश्न हमेशा साफ ही होता है, मगर जो समस्या है वह उत्तर की है कि उत्तर भी साफ होना चाहिए। मान्यवर, जो 15 सूत्री कार्यक्रम है, समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। इसमें सभी मंत्रालयों को अपना योगदान देने का अधिकार भी है और दायित्व भी है। सेक्रेटरीज की कमेटी वर्ष में दो बार इसकी समीक्षा करती है और वर्ष में एक बार इसको कैबिनेट के सामने पेश किया जाता है। समय-समय पर ऐसा हो जाता है कि 15 प्रतिशत के जो लक्ष्य बनाए जाते हैं, वित्त लक्ष्य और अन्य लक्ष्य, उसमें हम लोग कभी-कभी 15 प्रतिशत से नीचे रह जाते हैं, जिसके कारण सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि 15 प्रतिशत का जो लक्ष्य है, वह पूरा हो जाता है, जहां नहीं होता है वहां पर उसके क्या कारण रहे हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे हमने 15 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में लगभग 9 लाख 90 हजार स्वर्ण रोजगारियों को मिनिस्टरी ऑफ रूरल डवलपमेंट ने, जिसको अब अजीविका स्कीम कहा जाता है, उसमें 2007-2008 से लेकर 2012 तक उपलब्ध कराए हैं, वैसे ही जिस तरह से माइक्रो इंटरप्राइजेज के संदर्भ में अर्बन सेल्फ एम्पलायमेंट प्रोग्राम है, जो अर्बन एरियाज का है, उसमें 100 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, अल्प संख्यक समुदायों के लिए उसका लक्ष्य 15 प्रतिशत का है और इस वर्ष दिसंबर, 2011 तक हम 14.83 परसेंट पर पहुंच गए हैं। मैं यह मानता हूँ कि इस तरह से विस्तार से हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, उसको बताने में बहुत समय लगेगा। अगर माननीय सदस्य महोदय को इन सारे आंकड़ों की आवश्यकता है या रुचि है, तो उनको हम वे उपलब्ध करा देंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, एक सवाल।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं यह चाहूंगा कि विभिन्न मंत्रालयों में किस-किस वर्ष में यह 15 प्रतिशत का लक्ष्य कहां-कहां प्राप्त हो पाया और कहां-कहां प्राप्त नहीं हो पाया, उसके डिटेल भिजवा दें।

श्री सलमान खुर्शीद : वे सारी डिटेल्स हम उपलब्ध करवा देंगे।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री शिवानन्द तिवारी : सभी को भिजवा दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह काफी विस्तार से है और ठीक है, लेकिन एक चीज जो अभी सत्यव्रत जी ने पूछी, मैं उसको और संक्षेप में पूछना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तीकरण और विकास के लिए केन्द्र सरकार का टोटल कितना बजट है और पिछले पांच सालों में उस बजट से कितना खर्च हुआ है? एक चीज, दूसरा।

श्री सभापति : नहीं, एक सवाल।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : सर, इसी से जुड़ा हुआ है। क्या राज्य सरकारों से प्रॉपर तालमेल न होने की वजह से जो आपकी योजनाएं हैं, चाहे 15 सूत्री योजनाएं हों, चाहे अन्य योजनाएं हों, वे ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं और वे योजनाएं जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रही हैं? आपने अपने जवाब में कहा है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुपालन में हम यह-यह कर रहे हैं, तो हम यह भी पूछना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी की सिफारिशों की किन-किन बिन्दुओं का आप अनुपालन करने जा रहे हैं और कर रहे हैं?

श्री सलमान खुर्शीद : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सच्चर कमेटी के संदर्भ में जानना चाहता है, तो सच्चर कमेटी के संदर्भ में करीब 75 परामर्श दिए गए थे। मैं यह मानता हूं कि इनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा को स्वीकार करते हुए उनका अनुपालन हो रहा है। उनमें दो-तीन मुख्य परामर्श थे, जिन पर अभी आम सहमति नहीं बनने के कारण हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : उनमें विवादास्पद बिन्दु भी हैं?

श्री सभापति : प्लीज़ ...

श्री सलमान खुर्शीद : उनमें विवाद नहीं है। सहमति न होना विवाद नहीं होता है। विवाद न होना सहमति के लिए एक खाई बन जाए, ऐसा आपके और हमारे बीच में नहीं होना चाहिए और न हम ऐसा होने देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भी ऐसी ही भावना है और इसीलिए आपने यह प्रश्न पूछा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि Equal Opportunity Commission, समान अवसर उपलब्ध हों, इसके बारे में कभी-कभी यह विचार उठता है कि समान अवसर तो सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही क्यों, सभी को मिलने चाहिए और इसको लेकर अभी चर्चा चल रही है। सबको समान अवसर मिलें और अल्पसंख्यकों को भी मिलें, ऐसी हमारी भावना है। ऐसा नहीं मानकर चलना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से व्यवस्था बने और बहुसंख्यकों के लिए अलग से व्यवस्था बने, लेकिन सभी के लिए जो समूची व्यवस्था बनती है, उसमें अल्पसंख्यकों का योगदान और भागीदारी पूर्ण रूप से हो, यह हमारा प्रयास होता है। मैं यह तो बता सकता हूं कि Minority Affairs का बजट कितना है, लेकिन जैसा इनसे पूर्व सदस्य महोदय ने कहा, क्योंकि पूरी सरकार सारी आम जनता के लिए काम करती है और उसमें कहीं-कहीं पर अलग से वित्तीय लक्ष्य बनाकर रखे जाते हैं, इसलिए पूरी सरकार के क्या आंकड़ें होंगे, वह मैं इस समय आपको प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हर विभाग का अपना योगदान होता है। Minority Ministry को जो बजट है, वह हमारी website पर है। माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करूंगा कि website पर ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : आप हम लोगों को बता भी दीजिए। अगर आप बता देंगे, तो बहुत मेहरबानी होगी।

श्री सलमान खुर्शीद : मैं बता दूंगा लेकिन ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप भेज दीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : आप सदन को बता दें, क्योंकि यह इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। मुझसे पहले माननीय सदस्य भी यही पूछ रहे थे और मैं भी यही पूछ रहा हूं कि टोटल कितना बजट है और उसमें से कितना खर्च हुआ है? राज्य सरकारों के तालमेल की कमी की वजह से वह बजट खर्च क्यों नहीं हो पा रहा है?

श्री सलमान खुर्शीद : मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि कहीं भी तालमेल की कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की अवश्य है कि जो पैसा हम उपलब्ध कराते हैं, उस धनराशि का सही उपयोग हो सके। उसके लिए अगर कहीं स्कूल बनना है, विश्वविद्यालय बनना है, आई.टी.आई. बनना है, तो उसके लिए भूमि भी आवश्यक होती है और जहां सरकारों को इस बड़े कार्य को करने में समय लगता है, हम प्रयास करते हैं कि वे और तेज़ी से इस काम को करा सकें। यह सही है कि जब ये स्कीमें शुरू हुई, तो दो वर्षों में हम 95 प्रतिशत से बढ़कर इनको उपलब्ध करा पाए। हमारा जो बजट होता है, पिछले दो वर्षों में हम उसके 70 के आसपास ही पहुंचे हैं और उसका कारण यह है कि Utilization Certificate और पैसे का उपयोग करने में कई प्रांतों में देर होती है। हम प्रांतों के ऊपर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहते, हम उनका सहयोग चाहते हैं। माननीय सदस्य महोदय अपने डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो अपनी पंद्रह सूत्रीय कमेटी है, उसमें अवश्य जाते होंगे, बैठते होंगे और जो यह प्रस्तुत करते हैं, वही हमको मिल जाती है, लेकिन विस्तार से बजट के ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : सर, कोई मीटिंग नहीं होती।

श्री सभापति : मुख़्तार अब्बास जी, प्लीज़ ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : सरकार की तरफ से कोई monitoring भी नहीं होती। सदस्य तो होंगे, लेकिन वे कागज़ पर होंगे। कोई मीटिंग नहीं होती और सरकार की तरफ से कोई monitoring भी नहीं होती।

श्री सलमान खुर्शीद : सर, मैं इतनी बात कह दूं कि कहना आसान होता है और बात को समझना और उसमें योगदान देने में शायद कुछ कठिनाई का आपको सामना करना पड़ता होगा। मीटिंग नहीं होती, मैं मानता हूं और हर सदस्य का अधिकार भी है और उसका यह दायित्व भी बनता है कि अपने District Magistrate से कह कर मीटिंग कराए और अगर मीटिंग नहीं होती ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : सरकार में आप बैठे हुए हैं और मीटिंग हम करायें। ...**(व्यवधान)**...

श्री सलमान खुर्शीद : सर, मैं एक बात ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : नक़वी साहब, please allow the Minister to speak. आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी : सरकार में आप बैठे हुए हैं और मीटिंग संसद सदस्य करायेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री सलमान खुर्शीद : सर, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। कभी-कभी तो वहां से बैठकर यह कहा जाता है कि हमें कलेक्टर पर कोई अंकुश लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है और कभी-कभी यह कहा जाता है कि हम कलेक्टर के कान नहीं पकड़ते। यह सम्भव नहीं है। ...**(व्यवधान)**... सर, जो व्यवस्था है, जो फेडरल व्यवस्था है, उस फेडरल व्यवस्था को कुचल कर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मीटिंग नहीं होती है, तो ...**(व्यवधान)**...

श्री भगत सिंह कोश्यारी : आपकी चिंता को देखकर हम बहुत प्रभावित हुए। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN : Let us have the next supplementary, please.

श्री रवि शंकर प्रसाद : यही सीख आप अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों को दीजिए। ...**(व्यवधान)**... देश का बहुत कल्याण होगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN : Mr. Ravi Shankar Prasad, please resume your seat.

श्री सलमान खुर्शीद : सर, मैं यह मान रहा हूं कि सदस्य महोदय ने अपना प्रश्न वापिस ले लिया है। मैं यह मान रहा हूं कि वे यह सुनना चाहते थे कि हम फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर में हम विश्वास रखते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद अदीब : सर, यहां बार-बार सच्चर कमेटी का हवाला दिया जा रहा है। सच्चर कमेटी मुसलमानों की दुर्दशा मालूम करने के लिए बनाई गई थी। मैं मंत्री महोदय से यह मालूम करना चाहता हूं कि आप सच्चर कमेटी का हवाला देते हैं और जवाब देते हैं माइनारिटीज़ का। मैं कई बार इस सदन में पूछ चुका हूं कि यह बेहतर हो, अगर आप यह बता दें कि माइनारिटीज़ का bifurcation क्या है, कितना परसेंट मुसलमानों को मिला है, कितना क्रिश्चियन्स को मिला है, कितना दूसरी जातों को मिला है, इसका जवाब देने में आपको क्या परेशानी है? आप इस बात का वायदा करें और सच्चर कमेटी का हवाला हर आदमी देता है, सच्चर कमेटी माइनारिटी की दुर्दशा मालूम करने के लिए नहीं बनाई गई थी। वह इसलिए बनाई गई थी कि मुसलमानों की इस देश में क्या दुर्दशा है? मैं उस सिलसिले में आपसे पूछना चाहता हूं, आप स्पेसिफिकली माइनारिटीज़ को bifurcate करके जवाब दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

†**جناب محمد ادیب** : سر، یہاں بار بار سچر کمیٹی کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ سچر کمیٹی مسلمانوں کی 'درشا' معلوم کرنے کے لئے بنائی گئی تھی۔ میں منتری مہودے سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سچر کمیٹی کا حوالہ دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں مائنارٹیز کا۔ میں کئی بار اس سدن میں پوچھ چکا ہوں کہ یہ بہتر ہو، اگر آپ یہ بتا دیں کہ مائنارٹیز کا bifurcation کیا ہے، کتنا فیصد مسلمانوں کو ملا ہے، اس کا جواب دینے میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ اس بات کا وعدہ کریں اور سچر کمیٹی کا حوالہ ہر آدمی دیتا ہے، سچر کمیٹی مسلمانوں کی 'درشا' معلوم کرنے کے لئے نہیں بنائی گئی تھی۔ وہ اس لئے بنائی گئی تھی کہ مسلمانوں کی اس دیش میں کیا 'درشا' ہے؟ میں اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اسپیسیفکلی مائنارٹیز کو bifurcate کرکے جواب دیجئے ---(مداخلت)---

† Translitration in Urdu Script

श्री सलमान खुर्शीद : सर, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। यह बात तो वास्तविक है कि एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमानों की स्थिति पर विचार करने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। कुछ परामर्श सच्चर कमेटी के मुसलमानों से बढ़ कर भी हैं और कुछ सच्चर कमेटी के परामर्श सिर्फ मुसलमानों तक सीमित हैं और कुछ परामर्श ऐसे हैं, जो पांच अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको साथ लिया गया है। जो आरक्षण व्यवस्था की बात है, वह अल्पसंख्यक समुदाय के संदर्भ में उन्होंने करी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं करी है। लेकिन ऐसा संभव है कि अगर कोई यह जानना चाहता है कि हम मुसलमानों के लिए या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कितना कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप में, जो हम वजीफे देते हैं, उसमें State-wise और community-wise हम अलग-अलग हिस्सा, अलग-अलग कोटा रखते हैं और एक समुदाय से दूसरे समुदाय को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर एक स्टेट पूरी तरह से उसको stock नहीं कर पाती है, तो दूसरी स्टेट में, लेकिन उसी समुदाय को हम देते हैं। कहीं पर मांग ज्यादा है, कहीं पर मांग कम है। बैंकिंग लोन्स में हमने यह प्रयास किया है कि बैंकिंग लोन्स के बारे में सवालिया निशान लगा दिए जाते हैं, प्रश्न-चिह्न लगा दिए जाते हैं। हम 15 प्रतिशत का लक्ष्य रखते हुए, साढ़े 14 प्रतिशत तक पहुंचे हैं। जब यह सवाल उठता है कि किस समुदाय को मिल रहा है, तो यह व्यवस्था अब तक सभी बैंक्स में नहीं थी, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इस पर कोई सवालिया निशान न लगने पाए और विस्तार से ये सारे आंकड़े भी हम सब लोगों को प्रस्तुत कर दें। लेकिन साधारणत: जितने कार्यक्रम हो रहे हैं जैसे इंदिरा आवास योजना के कार्यक्रम हैं, स्कालरशिप के कार्यक्रम हैं या फिर फैलोशिप्स के कार्यक्रम हैं, उनको मैं समझता हूं कि सारे आंकड़ें बड़े स्पष्ट हैं, पूरी पारदर्शिता से सब लोगों को उपलब्ध हैं और ऐसा कहीं पर भी किसी को नहीं समझना चाहिए कि एक विशेष समुदाय को कहीं पर दबाया गया है या उनको उनका पूरा अधिकार नहीं मिला।

श्री सीताराम येचुरी : सर, विषय के महत्व को समझते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस सवाल पर आप आधे घंटे का डिस्कशन करने की अनुमति दे दीजिए।

MR. CHAIRMAN : Please give a notice for it.

श्री सीताराम येचुरी : सर, हम नोटिस देंगे।

श्री सभापति : ठीक है। प्रश्न संख्या : 424

Fuel supply to power companies

*424. SHRI RAJKUMAR DHOOT : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a directive has been issued to the Coal India Ltd. (CIL) to sign fuel supply agreements with power companies in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is the present status of implementation of the directive by CIL, particularly with the power companies located in Maharashtra?

THE MINISTER OF COAL (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.